


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व वाद संख्या 100/2013 (2013/00215) अनवान शेखर बनाम गोपाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2026	<p>कि वादी उसके सम्पर्क में नहीं है तथा उनके द्वारा वादी को सूचित किये जाने के बावजूद वादी वाद की पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी की ओर से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया। प्रार्थी को रूक रूक कर आवाजे लगाई गयी। परन्तु प्रार्थी स्वयं अथवा प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी </p>	